

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/51
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00041
CICOM/R/2019/00025

दिनांक: 18.02.2019

अपीलकर्ता : श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता,
ग्राम - शोकहारा -2, राजेन्द्र पथ बरौनी,
पो0 - बरौनी, जिला - बेगूसराय,
बिहार - 851112.

निर्णय की तारीख : 18.02.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	27.12.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	28.01.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	06.02.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	71/15.02.2019 (8723/13.02.2019)

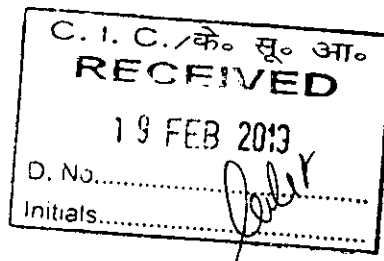
1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 27.12.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से पांच बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी। अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने के बावजूद उन्हें वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का दिनांक 27.12.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 03.01.2019 को प्राप्त हुआ एवं आर.टी.आई. प्रकोष्ठ के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (4) के तहत संयुक्त सचिव (प्र०) की सहायता लेकर वांछित सूचना अपीलकर्ता को निर्धारित समयावधि के अंदर ही दिनांक 28.01.2019 को पत्र सं. CICOM/R/2019/00025 के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ पुनः संलग्न है। श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

संलग्नक - यथोपरि।



(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।